"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक 5574 एफ 20-01/2011/1-6.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कृषि संचालनालय	जिले में उर्वरक व्यवसाय के लिये नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना एवं पंजीयन का नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप संचालक कृषि (उर्वरक पंजीयन अधिकारी)	संयुक्त संचालक कृषि	संचालक कृषि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		जिले में पौध संरक्षण औषधियों के व्यवसाय के लिये अनुज्ञप्ति नवीनी करण (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप संचालक कृषि (पौध संरक्षण अनुज्ञापन अधिकारी)	संयुक्त संचालक कृषि	संचालक कृषि
3.		कृषि के प्रमाणित तथा बीजों के व्यवसाय हेतु नवीन अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप संचालक कृषि (बीज पंजीयन अधिकारी)	संयुक्त संचालक कृषि	संचालक कृषि
4.		शक्तिचलित उन्नत कृषि यंत्र वितरण (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप संचालक कृषि	संयुक्त संचालक कृषि	संचालक कृषि
5.		नलकूप योजना (किसान समृद्धि एवं सामान्य नलकूप) (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप संचालक कृषि	संयुक्त संचालक कृषि	संचालक कृषि
6.		शाकम्भरी योजना (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप संचालक कृषि	संयुक्त संचालक कृषि	संचालक कृषि
7.	संचालनालय उद्यान (राज्य स्तर) उप/सहायक संचालक उद्यान	शक्तिचलित यंत्रों का वितरण (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप/सहायक संचालक उद्यान	संबंधित संयुक्त संचालक उद्यानिकी, संचालनालय उद्यानिकी	संचालक उद्यानिकी
8.	कार्यालय (जिला स्तर)	प्रमाणित बीजों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना तथा नवीनी-करण (संपूर्ण सहपत्रों सहित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	उप/सहायक संचालक उद्यान	संबंधित संयुक्त संचालक उद्यानिकी, संचालनालय उद्यानिकी	संचालक उद्यानिकी
9.	कृषि अभियांत्रिकी संकाय संचालनालय कृषि	उन्नत कृषि यंत्रों का परीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना परीक्षण हेतु (संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर आवेदन व यंत्र प्राप्त होने के पश्चात्)	60 कार्य दिवस	संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला	अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी	संचालक कृषि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	मंडी प्रांगण के गेट पर कृषक वाहन तथा उपज की सम्पूर्ण प्रवृष्टि के संबंध में.	01 कार्य दिवस	उप निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति	संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
11.		छ.ग. राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने के संबंध में.	42 कार्य दिवस	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति	संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.